न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 161 / 2015 दायर दिनांक 22.07.2015

उनवान

बाबरू **बनाम** **जीतु**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 18.12.2019

–:निर्णयः–

पतरावली पेश हुई वकिल वादी हाजिर अपील प्रस्तुत करने की शर्त पर वाद पत्र विडरो करना चाहा जिसे स्वीकार कर वाद पत्र इसी स्तर पर ड्राप किया जाता है अत -पतरावली फैसल होकर नम्बर से कम है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2019.12.24 11:31:03 IST
Reason: SelfAttested